न्यायालयः–तेईसवे जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)
(समक्ष : गौतम भट्ट)

Civil Suit Case No.- 772A/2023
Ragistration Date- 03-08-2023
Filing No.- 3670/2023
C.N.R. No.- MP07010190702023

बालकृष्ण पुत्र स्व.श्री वासुदेव नाथ, उम्र 82 वर्ष,निवासी–ढोलीबुआ का मठ खासगी बाजार लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

–––––**वादी/आवेदक**

–:: **विरूद्ध** ::–

1. सच्चितानंद उर्फ संतोष पुत्र श्रीकांत, आयु–52 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं निवासी–ढोलीबुआ का मठ खासगी बाजार लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
2. मैसर्स बाबा बैजनाथ धाम द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि–

अ कमल सिंह कुशवाह पुत्र स्व.श्री कुंजीलाल कुशवाह, आयु–36 वर्ष निवासी–बालाजीधाम कॉलोनी, रामजानकी मंदिर के पास लश्कर ग्वालियर,

ब विनोद कुशवाह पुत्र स्व.श्री प्रेमसिंह कुशवाह, आयु–32 वर्ष, निवासी–धौकुलपुरा वीरपुर लश्कर परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

––––**प्रतिवादीगण/अनावेदकगण**

–:: (आदेश) ::–

(आज दिनांक–05.10.2024 को पारित)

इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य0प्र0स0 आई.ए. नंबर 1 का निराकरण किया जा रहा है।

(2)– प्रकरण में कोई सारवान अविविवादित अथवा स्वीकृत तथ्य नहीं हैं जो वर्तमान आवेदन के स्तर पर गुण दोष को प्रभावित करें।

(3)– आवेदन पत्र इस प्रकार है कि,महीपत नाथ महाराज ढोलीबुआ जिन्होंने श्रीमंत दौलतराव सिंधिया को राजयोग दीक्षा दी और संबत 1745 में ग्वालियर में स्थापित हुए जो आज ढोलीबुआ मठ के नाम से प्रसिद्ध होकर खासगी बाजार ग्वालियर में है और मठ से लगी हुई कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 505 रकवा 0.1250 हैक्टेयर,सर्वे क्रमांक 506 रकवा 0.1780 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 508 रकवा 0.1050 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 509/1 रकवा 0.0850 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 510 रकवा 0.1150 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 511/2 रकवा 0.0460 हैक्टेयर,सर्वे क्रमांक 512 रकवा 0.1150 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 513/1 रकवा 0.1360 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 513/2 रकवा 0.0520 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 513/3 रकवा 0.0520 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 515/2 रकवा 0.0070 हैक्टेयर, सर्वे क्रमाक 516 रकवा 0.0420 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 517/1 रकवा 0.2200 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 518 रकवा 0.0940 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 519 रकवा 0.0630 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 522 रकवा 0.840 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 523 रकवा 0.1780 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 532 रकवा 0.0210 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 533/1 रकवा 0.0520 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 533/2 रकवा 0.0100 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 535/2 रकवा 0.0100 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 520 रकवा 0.0310 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 621 रकवा 0.084 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 531 रकवा 0.052 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 534, सर्वे क्रमांक 535/1 रकवा 0.261 हैक्टेयर कुल किता 26 कुल रकवा 2.362 हैक्टेयर स्थित ग्राम गिरवाई जिला ग्वालियर में है। उक्त भूमि से होने वाली इनकम मठ पर कई वर्षों से पूर्व से खर्च होती चली आ रही है। सद्गुरू महिपत नाथ महाराज के शिष्य एवं भतीजे संत श्री काशीनाथ पुरंदरे को पूना से बुलाकर ढोलीबुआ मठ की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गयी तब से आज तक ढोलीबुआ मठ के पुरंदरे परिवार ज्येष्ठ और शिष्य व्यक्ति मठ का महंत होता चला आ रहा है और समस्त पुरंदरे परिवार के सदस्यों द्वारा मठ की संपत्ति की देखरेख एवं उसकी व्यवस्था एवं सेवा करते चले आ रहे हैं। वादी पुरंदरे परिवार का सदस्य होकर ढोलीबुआ मठ की संपत्तियों की देखरेख करने एवं मठ की सेवा पूजा करने के कारण यह दावा मठ की संपत्ति के संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(4)– वादी ढोलीबुआ मठ के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि वादग्रस्त भूमि ग्राम गिरवाई जिला ग्वालियर में स्थित है, उक्त ढोलीबुआ मठ टैम्पल रजिस्टर्ड कार्यालय माफी विभाग के सरल क्रमांक 85 पर इंद्राज है जिससे यह स्पष्ट है कि ढोलीबुआ मठ माफी का मंदिर होने से उपरोक्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि गुरू शिष्य परंपरा की भूमि है और वह मठ की सेवा के लिए ही है और उपरोक्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि गुरू शिष्य परंपरा की भूमि होने से उसका उपयोग मंदिर की सेवा पूजा करने का एक मात्र साधन है। ढोलीबुआ मठ के वर्षों पूर्व से गुरू शिष्य एवं ज्येष्ठके आधार पर मठ के महंत नियुक्त होते रहे जिसके आधार पर ढोलीबुआ मठ के महंत वासुदेव नाथ पुरंदरे नियुक्त हुये और उनकी मृत्यु के पश्चात श्रीकांत ज्येष्ठ शिष्य व भाई होने के कारण ढोलीबुआ मठ के महंत नियुक्त हुये और उनकी मृत्यु के समय वादी पुरंदरे परिवार का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ शिष्य थे इसके बावजूद भी ढोलीबुआ मठ से लगी हुई उपरोक्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि को अवैध रूप से खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से श्रीकांत ने अपने पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 को पुरंदरे परिवार की जानकारी व सहमति के बिना ढोलीबुआ मठ का महंत नियुक्त कर दिया जबकि गुरू–शिष्य एवं ज्येष्ठ परंपरा के आधार पर श्रीकांत को अपने पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 को ढोलीबुआ मठ का महंत नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही ढोलीबुआ मठ व उससे लगी हुयी कृषि भूमि माफी औकाफ की भूमि

होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 को उपरोक्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि में कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। श्रीकांत नाथ द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को ढोलीबुआ मठ का बिना किसी आधार के अवैध रूप से महंत नियुक्त किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ढोलीबुआ मठ के महंत के आधार पर उसके स्वत्व, स्वामित्व और आधिपत्य की उपरोक्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि पर अपना नामांतरण कराने के लिए न्यायालय तहसीलदार वृत्त गिरवाई तहसील ग्वालियर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से तहसील द्वारा दिनांक 13.06.2022 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के नामांतरण आवेदन पत्र को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर के द्वारा दिनांक 10.08.2022 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी ने न्यायालय ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग केसमक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 26.12.2022 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गयी। तत्पश्चात वादी ने उक्त आदेश का पुर्नअवलोकन करने हेतु पुनः अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 20.02.2022 को आदेश पारित करते हुये यह निष्कर्ष दिया कि ढोलीबुआ मठ में निहित माफी औकाफ का होना अभिलेख से प्रकट है जिसके प्रबंधक कलेक्टर है इस कारण वादी सक्षम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

(5)– उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विविध याचिका प्रस्तुत की जिसका प्रकरण क्रमांक 1539/2023 एम.पी. है जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है इस कारण आदेश दिनांक 10.08.2022 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सबज्यूडिस होकर अंतिम नही है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को ढोलीबुआ मठ की उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। ढोलीबुआ मठ के महंत श्रीकांत नाथ ने पुरंदरे परिवार की सहमति लिये बिना और पुरंदरे परिवार से छिपाव करते हुये ढोलीबुआ मठ का एक ट्रस्ट गठित कर दिया जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका क्रमांक 1264/2015 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2015 को प्रकरण के पक्षकारों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रदान किया इस कारण भी प्रतिवादी क्रमांक 1 को ढोलीबुआ मठ की उपरोक्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था और ना है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बिना किसी अधिकार व स्वत्व के ढोलीबुआ मठ की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 506 रकवा 0.178 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 508 रकवा 0.105 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 509/1 रकवा 0.085 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 510 रकवा 0.115 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 511/2 रकवा 0.046 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 512 रकवा 0.115 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 515/2 रकवा 0.007 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 517/1 रकवा 0.220 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 518 रकवा 0.094 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 519 रकवा 0.063 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 522 रकवा 0.084 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 523 रकवा 0.178 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 532 रकवा 0.021 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकवा 1.436 हैक्टेयर की भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2022 को बिना कब्जे के विक्रय कर दी। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ढोलीबुआ मठ की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 516 रकवा 0.0420 हैक्टेयर में से 0.0189 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 520 रकवा 0.0630 हैक्टेयर में से 0.0372 हैक्टेयर, सर्वे

क्रमांक 521 रकवा 0.0310 हैक्टेयर में से 0.0183 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 531 रकवा 0.0630 हैक्टेयर में से 0.0372 हैक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 534 रकवा 0.2400 हैक्टेयर में से 0.1418 हैक्टेयर विक्रय कर दी। उपरोक्त सर्वे नंबरान की भूमि ही प्रकरण में विवादग्रस्त है **जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त सर्वे नंबरान की भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा।** प्रतिवादी क्रमांक 1 ढोलीबुआ मठ का न तो महंत है और न ढोलीबुआ मठ के वादग्रस्त सर्वे नंबरान की भूमि का मालिक है इसके बावजूद भी प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 को वादग्रस्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि को पृथक पृथक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2022 के द्वारा विक्रय कर दी है जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 ने वादग्रस्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि पर अपना नामांतरण कराने के लिए न्यायालय तहसीलदार वृत्त गिरवाई ग्वालियर में दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जिस पर न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 866/2022–23/अ–6 एवं प्रकरण क्रमांक 867/2022–23/अ–6 कायम किए जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी ने उपरोक्त प्रकरणों में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की जिसके आधार पर तहसीलदार वृत्त गिरवाई द्वारा उपरोक्त प्रकरण क्रमांकों में दिनांक 10.01.2023 को आदेश पारित करते हुये प्रतिवादी क्रमांक 2 के नामांतरण प्रकरण निरस्त करते हुये यह माना कि विवादित कृषि भूमि माफी औकाफ की होकर ढोलीबुआ मठ की है और ढोलीबुआ मठ के महंत गुरू शिष्य परंपरा के आधार पर नियुक्त होते रहे है तथा पुरंदरे परिवार द्वारा मठ की संपत्ति की प्रबंध व्यवस्था एवं सेवापूजा करते चले आ रहे हैं।

(6)– प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 867/2022–23/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकार राजस्व लश्कर ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसका प्रकरण क्रमांक 78/अपील/2022–23 था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष देते हुए प्रतिवादी क्रमांक 2 की अपील निरस्त कर दी थी कि विवादित संपत्ति पैत्रक संपत्ति न होकर गुरू शिष्य परंपरा की भूमि है और उपरोक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र विधि अनुकूल न होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 2 को कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है, यह कहते हुये अपील निरस्त कर दी। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 866/2022–23/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 79/अपील/2022–23 प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2023 को आदेश पारित करते हुये ढोलीबुआ मठ के स्वामित्व, आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 516/1, 520,521,531,534 कुल किता 5 कुल रकवा 0.2534 हैक्टेयर पर प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम अंकित करने का आदेश देते हुये अपील स्वीकार की जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 78/अपील/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 में यह माना कि उपरोक्त वादग्रस्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि ढोलीबुआ मठ की होकर पुरंदरे परिवार द्वारा देखरेख की जाती है और प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी ने विरोधाभासी आदेश पारित किए इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.03.2023 के विरूद्ध वादी ने न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है और उक्त आदेश अभी सबज्यूडिस होकर अंतिम नहीं है। वादग्रस्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि में स्थापित मंदिरों एवं मठ में होने वाले

धार्मिक कार्यक्रमों में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए आय का एकमात्र स्रोत है एवं उपरोक्त वादग्रस्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि के एक भाग में ढोलीबुआ मठ के पूर्व महंत लक्ष्मणनाथ, गोविंदनाथ, दत्तनाथ, रंगनाथ एवं बंडू स्वामी महाराज की समाधियां बनी हुई हैं जिनकी सेवा पूजा पुरंदरे परिवार के द्वारा की जाती है किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रोपर्टी डीलिंग करने वाले लोगों के संपर्क में आकर ढोलीबुआ मठ के स्वामित्व की वादग्रस्त सर्वे नंबरान की भूमि को खुर्दबुर्द करने के प्रयास में होकर बिना किसी अधिकार के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 के हित में संपादित कर दिये जिनके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कर उक्त भूमि में बनी समाधियों की तोडफोड करने के प्रयास में है। दिनांक 02.06.2023 को प्रतिवादी क्रमांक 2 कुछ असामाजिक तत्वों के साथ विवादित भूमि पर बनी महंतो की समाधियों की तोडफोड करने, मटेरियल डालने एवं रोड डालने का प्रयास करने लगे जिसकी जानकारी होने पर वादी ने रोका तो प्रतिवादी क्रमांक 2 ने उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 से क्रय करना बताया तब वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 2 से कहा कि तुम्हारा नामांतरण तहसील न्यायालय से भी निरस्त हो चुका है और भूमि के संबंध में प्रकरण राजस्व न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(7)– प्रतिवादी क्रमांक 2 वादी से लडाई झगडा करने को आमादा होकर वादी को ढोलीबुआ मठ के स्वत्वों को चुनौती देते हुये यह धमकी देकर चले गये कि चार पांच दिन के अंदर वादग्रस्त कृषि भूमि पर रोड डालकर प्लॉटों का निर्माण कर उन्हें विक्रय कर देंगे।वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जिसके संबंध में व्यवहार न्यायालय में दावा करने से पूर्व म.प्र. शासन को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देना कानूनन अनिवार्य है। वादी ने दिनांक 02.06.2023 को म.प्र. शासन को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस सूचना प्रेषित कर उक्त प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में फॉर्मल पक्षकार बनाकर म.प्र. शासन के विरूद्ध कोई सहायता की मांग नहीं की गयी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के हित में है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के हित में है। इस कारण वादी के हित में प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि अ एवं ब के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 वादग्रस्त सर्वे नंबरान की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा न करे और न कोई निर्माणकार्य करे तथा वादग्रस्त सर्वे नंबर की भूमि पर बनी समाधियों की तोडफोड न करे औरन किसी से कराये। वादी के हित में प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि अ एवं ब के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो प्रतिवादी क्रमांक 2 उसके अधिकृत प्रतिनिधि वादी को वादग्रस्त सर्वे नंबरान की भूमि से जबरन बेदखल कर अतिक्रमण कर लेंगे और उक्त भूमि पर बनी समाधियों की तोडफोड कर देंगे।

(8)– प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 की ओर से आवेदन का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

(9)– प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से अविवादित स्थिति के अतिरिक्त आवेदन के समस्त तात्विक तथ्यों को असत्य दर्शाते हुये अस्वीकृत किया गया है तथा इस आशय का विरोध प्रकट किया है कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है बल्कि वादी स्वयं के द्वारा ढोलीबुआ मठ की संपत्ति में से एक 100X30=3000 वर्गफुट की संपत्ति

का दानपत्र दिनांक 05.04.1983 को महिला सरजूबाई पत्नी श्री हीरालाल के हित में बिना किसी हक व अधिकार के कर दिया गया है और वादी स्वयं मठ की संपत्ति को खुर्दबुर्द कर रहा था जिस कारण श्रीकांतनाथ के द्वारा ढोलीबुआ मठ स्थित खासगी बाजार की संपत्ति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ट्रस्ट गठित किया गया था जिसे निरस्त कराने के संबंध में वादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गयी है और वादी मठ में विकास कार्य भी नहीं होने दे रहा है। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वादग्रस्त कृषिभूमि एक ओर ढोलीबुआ मठ, दूसरी ओर पुरंदरे परिवार की भूमि, तीसरी ओर माफीऔकाफ की संपत्ति होना बताया गया है। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि किसके स्वामित्व की है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में वादी के द्वारा सलीम कुरैशी नामक व्यक्ति से उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष पब्लिक पिटीशन कमांक 6955/2015 सलीम कुरैशी बनाम म.प्र. शासन आदि प्रस्तुत करायी गयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.04.2017 को आदेश पारित कर वादग्रस्त कृषि भूमि को निजी संपत्ति होना निर्णीत किया गया था। वादी के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.03.2023 के विरूद्ध अपील प्रकरण कमांक 156/2023–24 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी अभिलेख के एवं कानून के खिलाफ जाकर दिनांक 15.06.2023 को आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष याचिका कमांक 3902/23 एम.पी. मैसर्स बाबा बैजनाथ धाम आदि बनाम बालकृष्ण वासुदेव आदि प्रस्तुत की गयी थी। उक्त पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय मं वर्तमान में लंबित है। प्रतिवादी कमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी कमांक 1 के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि के समस्त दस्तावेज देखकर विधिवत रूप से रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की है और प्रतिवादी कमांक 1 के द्वारा उसका आधिपत्य प्रतिवादी कमांक 2 को सौंपा गया है जिसका वह उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में आधिपत्य वापसी की कोई सहायता नहीं चाही गयी है जिस कारण से वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से बाधित होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य है। प

(10)– प्रतिवादी कमांक 2 की निजी जानकारी के अनुसार ढोलीबुआ का मठ का मठाधीश गुरू शिष्य परंपरा के अंतर्गत नियुक्त होता चला आ रहा है। वादी मठ के किया कलापों के खिलाफ कार्य कर रहा है और वादी के द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादीगण को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से मिथ्या तथ्य वर्णित करते हुये मिथ्या आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी कमांक 2 की निजी जानकारी के अनुसार प्रतिवादी कमांक 1 को धर्मसभा के द्वारा ढोलीबुआ मठ का मठाधीश नियुक्त किया गया है। प्रतिवादी कमांक 1 के द्वारा उपरोक्त वर्णित सर्वे नंबरान की कृषि भूमि पर अपने नाम का इंद्राज करने हेतु नामांतरण आवेदन तहसील वृत्त गिरवाई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त कर दिया गया था। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी कमांक 1 के एक मात्र स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि थी जो प्रतिवादी कमांक 1 के द्वारा पृथक पृथक रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से प्रतिवादी कमांक 2 को विकय कर उक्त कृषि भूमि का आधिपत्य प्रतिवादी कमांक 2 को सौंप दिया था तब से प्रतिवादी कमाक 2 उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी कमांक 2 के

द्वारा उपरोक्त भूमि क्रय करने के पश्चात तहसील वृत्त गिरवाई के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जो तहसीलदार वृत गिरवाई के द्वारा वादी की अनावश्यक आपत्तियों के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर सिटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार वृत गिरवाई को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया था। वादी का वाद न तो प्रथम दृष्टया वाद है और न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और न ही वादी का उक्त भूमि पर कोई आधिपत्य है और न ही वादग्रस्त भूमि पर कोई समाधियां बनी हुयी है। यदि वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वादी प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करेगा तथा वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से असत्य आधारों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से जवाब स्वीकार कर वादी का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

(11)— उक्त आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

1. क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में है ?
2. क्या प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी ?

::— <u>सकारण विवेचना</u> —::

::— <u>विचारणीय प्रश्न क्र. 1 लगायत 3 पर निष्कर्ष</u> —::

(12)— तथ्यों की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

(13)— प्रथमदृष्टया मामले का तात्पर्य पक्षकारो के मध्य विद्यमान ऐसे गम्भीर तथा सारवान प्रश्नों से है जिनके निराकरण हेतु न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है तथा वाद में प्रार्थित अनुतोष प्राप्ति की युक्ति—संगत सम्भावनॉये आवेदक के पक्ष में विद्यमान है। वर्तमान आवेदन के निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष तीन तात्विक बिंदु निराकरण योग्य हैं कि क्या वादी का मामला प्रथम दृष्टाया है, क्या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में हैं, एवं क्या उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित न होने पर उसे अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। माननीय न्यायदृष्टांत **<u>''राजेश मिश्रा विरूद्ध रामविलास सिंह कुशवाहा'' 2015(2) JLJ 101</u>** में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अस्थाई व्यादेश एक साम्यपूर्ण और विवेकीय अनुतोष है जो केवल मांगा, या सहज में नहीं दिया जा सकता है एवं उक्त तीन मूलभूत तत्वों अर्थात् प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के अलावा पक्षकारों का आचरण भी सुसंगत कारक होता है।

(14)– प्रकरण में वादी की ओर से वाद प्रस्तुति के संबंध में अपने अधिकार इस प्रकार दर्शाये हैं कि पूर्व सद्गुरू महीपत नाथ महाराज के शिष्य एवं भतीजे श्री काशीनाथ पुरंदरे को पूना से बुलाकर ढोलीबुआ मठ की सेवा की जिम्मेदारी दी गयी थी तब से पुरंदरे परिवार के ज्येष्ठ को शिष्य व्यक्ति मठ का महंत होता चला आ रहा है और पुरंदरे परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा मठ की सेवा एवं व्यवस्था की जा रही है। वादी उक्त पुरंदरे परिवार का सदस्य होकर मठ की संपत्तियों की देखरेख एवं सेवा पूजा करने के कारण दावा प्रस्तुत कर रहा है। वादी की ओर से अपने अधिकार के संबंध में उक्त मौखिक स्थिति दर्शायी है एवं इस संबंध में मठ ढोलीबुआ के महंत के इंद्राज के दस्तावेज तथा पूर्व के वासुदेव नाथ ढोलीबुआ का नामांतरण एवं उनके स्थान पर पश्चात में श्रीकांत नाथ ढोलीबुआ का नामांतरण होने के दस्तावेज पेश किये हैं। वादी उक्त वासुदेव नाथ ढोलीबुआ का पुत्र होने की स्थिति के आधार पर और शिष्य होने के आधार पर संपत्ति के संबंध में दावा प्रस्तुत कर रहा है। वादी की ओर से स्वयं के नामांतरण आदि के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। वादी के अनुसार उसके पिता वासुदेव नाथ की मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ शिष्य व उनके भाई श्रीकांत को मठाधीश नियुक्त किया गया एवं उक्त श्रीकांत पुरंदरे की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ शिष्य होने के बावजूद भी वादी के स्थान पर उक्त श्रीकांत ने अपने पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 सच्चिदानंद को मठाधीश नियुक्त कर दिया। उक्त के पश्चात उभयपक्ष के मध्य राजस्व न्यायालय में विभिन्न कार्यवाही संचालित हुयी एवं एक ट्रस्ट का गठन होना भी दर्शाया गया है।

(15)– उपरोक्त समस्त स्थिति से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रकरण में ढोलीबुआ का मठ खासगी बाजार लश्कर ग्वालियर का मठाधीश अथवा ट्रस्टी होने की कोई स्थिति वादी के पक्ष में नहीं है तथा उक्त स्थिति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1264/2015 में निराकृत होना है।

(16)– प्रकरण में वादी की ओर से दो संपत्तियों का विवरण दिया गया है। प्रथम संपत्ति खासगी बाजार स्थित ढोलीबुआ का मठ है एवं द्वितीय संपत्ति वादी के अनुसार उक्त मठ से संलग्न एवं उसके संचालन हेतु कृषि भूमि है जो कि ग्राम गिरवाई जिला ग्वालियर में स्थित है। वादी की स्थिति उपरोक्त विवेचना अनुसार उक्त मठ के संबंध में प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं है। वादी द्वारा प्रकरण में अपने मूल वादपत्रके चरण 7 में प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रीत भूमि को वादग्रस्त बताया है। उक्त भूमि के संबंध में वादी की स्थिति देखी जाये तो उक्त भूमि ढोलीबुआ के मठ से संलग्न है अथवा मठ की संपत्ति हो या मठ के खर्चे के लिए उक्त भूमि की आय का उपयोग होता हो , ऐसे कोई दस्तावेज प्रथम दृष्टया वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये है। उभयपक्ष की ओर से राजस्व न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के विभिन्न आदेश प्रस्तुत किये हैं। उक्त समस्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वादग्रस्त संपत्ति की मठ से संबद्धता अथवा उक्त भूमि की वादी के अधिकार के संबंध में कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है। प्रकरण में ढोलीबुआ के मठ

के मठाधीश होने आदि को विवादित अवश्य किया गया है परंतु मूल विवाद जिस भूमि के संबंध में है एवं जो भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय की गयी है, उस भूमि पर वादी के अधिकार की स्थिति प्राथमिक रूप से वर्तमान आवेदन के निराकरण में देखी जानी है एवं उसके संबंध में वादी की ओर से जो भी दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।

(17)– उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया वादी की कोई स्थिति वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में स्पष्ट नहीं होती है। उक्त के विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्थिति का इंद्राज राजस्व अभिलेखों में है। यदि इस स्तर पर प्रतिवादी क्रमांक 1 यह स्पष्ट नहीं भी करता है कि उसे उक्त भूमि में अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुये तो इससे वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। उक्त परिस्थिति में वाद प्राथमिक रूप से सृदृढ होना प्रकट नहीं होता है। यदि वादग्रस्त कृषि भूमि का अंतरण अथवा उसमें प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से कोई हस्तक्षेप किया जाता है तब भी इससे वादी के क्या विधिक अधिकार प्रभावित होते हैं यह इस स्तर पर स्पष्ट नहीं है। उक्त परिस्थिति में अपूर्णनीय क्षति अथवा असुविधा की स्थिति भी वादी की अपेक्षा प्रतिवादी के पक्ष में है।

(18)– उक्तानुसार निराकरण के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में प्रकट नहीं होते हैं। अतः आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया जाकर दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/–
(गौतम भट्ट)
तेईसवे जिला न्यायाधीश
ग्वालियर (म.प्र.)

स्थानः– ग्वालियर
दिनांक :05.10.2024

GAUTAM BHATT
Digitally signed by GAUTAM BHATT
Date: 2024.10.05 17:19:27 +0530